

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 81/2019

निर्णय दिनांक — 31.05.2019

चन्द्रप्रकाश पिता हीरा जाति तैली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
— प्रार्थी

// बनाम //

1. रामा पिता नाथु जाति तैली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्रीमति पदमा पिता ओमप्रकाश जाति लौहार आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा-बी तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 246 की आराजी नं0 48 रकबा 1.3400 हैक्टेयर आराजी नं0 50/457 रकबा 0.1800कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्कानिम्बाहेड़ा-बी तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 246 की आराजी नं0 48 रकबा 1.3400 हैक्टेयर आराजी नं0 50/457 रकबा 0.1800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

